International Journal of Advanced Research and Development
ISSN: 2455-4030
Impact Factor: RJIF 5.24
www.advancedjournal.com
Volume 3; Issue 3; May 2018; Page No. 190-192

भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में हिन्दी भाषा

डॉ0 जय प्रकाश पटेल[1], अंजू सिंह पटेल[2]
[1] बी0एच0एस0 अल्लापुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।
[2] शोध छात्रा, हिन्दी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत।

प्रस्तावना

संसार के समस्त जीव किसी न किसी रूप में अपने भावों को अभिव्यक्ति करते हैं। व्यापक अर्थ में भावाभिव्यक्ति के इन साधनों जैसे–अंग प्रत्ययों का संचालन, भाव–मुद्राओं एवं ध्वनि संकेतों को भाषा कहते हैं। दूसरे शब्दों में हमारे मन के भाव या विचार जिस साधन द्वारा व्यक्त होते हैं, उसे भाषा कहते हैं। चूँकि मानव में विचार शक्ति की अद्भुत क्षमता है। वह अपनी बौद्धिक क्षमता से विचार प्रधान ध्वनि संकेतों को विकसित किया और धीरे–धीरे इन ध्वनि संकेतों को लिपिबद्ध किया। इसी कारण जब हम भाषा की चर्चा करते हैं तो यह तथ्य सामने आता है कि मानव द्वारा विकसित ध्वनि संकेतों को ही भाषा कहा जाता है। अन्य जीव–जन्तुओं की संकेतिक भाषा को अनसूना कर देते हैं। इस सम्बन्ध में स्वीट महोदय का कथन है–''ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है।''[1] स्वीट महोदय के भाषा सम्बन्धी विचार से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ध्वनि संकेतों का विकास समाज में समाज द्वारा होता है। कई भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा के स्वरूप, महत्व एवं कार्यों का सूक्ष्म विश्लेषण कर माना कि किसी समाज द्वारा स्वीकृत ध्वनि संकेतों के समूह को भाषा कहते हैं। इस सन्दर्भ में प्रो0 मीरा दीक्षित ने लिखा है–''मनुष्य के ध्वनि अवयवों से निकलने वाले सार्थक ध्वनि समूह को भाषा कहते हैं।''[2] हालांकि भाषा की यह संकुचित परिभाषा मानी जाती है। साधारण अर्थों में किसी भी प्रकार से भावों को प्रदर्शित करना भाषा है। आधुनिककालीन समाज में भाषा के संकुचित अर्थ पर ही विस्तार से विचार हो रहा है। भारतीय भाषा वैज्ञानिकों के विचारों में समन्वय करते हुए प्रो0 रमन बिहारी लाल ने लिखा है–''विचार की अभिव्यक्ति के लिए किसी समाज द्वारा स्वीकृत जिन ध्वनि संकेतों का व्यवहार होता है, उसे भाषा कहते हैं।''[3]

हम जानते हैं कि संसार में कई भाषा है। कुछ देश में एक ही भाषा है तो कुछ देशों में बहुसंख्यक भाषाओं का प्रचलन है। जहां तक भारत की बात की जाय, भारत प्रत्येक क्षेत्र में विविधतापूर्ण रवैया अपनाया है। यह भाषा पर भी लागू होता है। भाषा वैज्ञानिकों का मत है कि भारत में लगभग 1652 भाषाएं प्रचलन में है, जिसमें 22 भाषाओं को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है। इन भाषाओं में हिन्दी का स्थान सर्वोच्च है। भारत के किसी कोने में चले जाइए हिन्दी समझने वाले नागरिक अवश्य मिल जाएगें। हिन्दी अपनी गुणवत्ता के कारण भारतीयों के हृदय में समाहित है। यह हमें भारतीय होने का एहसास दिलाती है। विश्व के अधिकांश देश भारत को हिन्दी भाषी देश मानते हैं। हिन्दी अपने उद्भव काल से ही भारतवासी के लिए आस्था की भाषा बनती जा रही थी और इक्कीसवीं सदी में अत्यधिक परिपक्व हो गयी। अपने प्रारम्भिक दौर में हिन्दी को साधारण जनता ने स्वीकार किया। प्राचीन काल से शासकीय स्तर पर अन्य भाषाओं का प्रचलन रहा है, परन्तु हिन्दी को दूर रखा गया है। अंग्रेजों ने विशेषकर लार्ड मैकाले ने भारत को अंग्रेजी क्षेत्र बनाने का असफल प्रयास किया। हिन्दी को शासकीय संरक्षण न मिलने पर भी यह भारतवासियों के हृदय की भाषा बनी है। हिन्दी के विकास में आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी आदि संस्थाओं ने बहुत प्रयास किया। स्वामी दयानन्द के प्रयास से हिन्दी सम्पन्न घरानों तक पहुँच गयी। भाषा वैज्ञानिक डॉ0 रामकिशोर शर्मा लिखते हैं–''स्वामी जी ने अपने प्रभाव और सदुपदेश से राज–परिवारों में हिन्दी को स्थान दिलाया।''[4] इससे भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में राज–परिवारों के सदस्य भी स्वयं को अंग्रेजी भाषा का समर्थक न मानकर साधारण नागरिकों के साथ हो गए। हालांकि अंग्रेजों ने भाषा को क्षेत्र, जाति और धर्म के आधार पर विभाजित करने का प्रयास किया। जिसे हमारे महापुरुषों ने नकार दिया था। महायोगी श्री अरविन्द ने कहा था–''अपनी मातृभाषा की रक्षा करते हुए हिन्दी को सामान्य भाषा के रूप में जानकर हम प्रान्तीय भेदभाव नष्ट कर सकते हैं।''[5] महायोगी के मतानुसार हम अपनी जाति, धर्म एवं क्षेत्र के अनुसार भाषा बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, परन्तु राष्ट्रीय एकता के लिए हिन्दी भाषा से परिचित होना चाहिए। हिन्दी ही समस्त प्रदेशों में बोली जाती है। हिन्दी न तो किसी भाषा से गुणात्मक दृष्टि से कमजोर है और न ही भारतीयों में असहज है। इसे आदिकालीन भाषा संस्कृत की पुत्री माना जाता है। माना कि हिन्दी में कुछ विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, परन्तु उनका प्रभाव नगण्य है। हमारी भाषा का प्रभाव इतना अधिक है कि अन्य भाषाओं के शब्द कमजोर पड़ जाते हैं। इसी कारण अन्य भाषा के समाज सुधारकों ने हिन्दी को उचित स्थान पर पहुँचाने का कार्य किया। बंगाल के केशवचन्द्र सेन ने कहा था–''हिन्दी अखिल भारत की जातीय भाषा या राष्ट्र भाषा बनने योग्य है।''[6] इसी प्रकार महाराष्ट्र के महापंडित डॉ0 भण्डारकर ने कहा था–''भिन्न–भिन्न प्रदेशों की एक सामान्य भाषा बनने का सम्मान हिन्दी को मिलना चाहिए।''[7] भारत के गैर हिन्दी समाज सुधारक ही नहीं, विदेशों से भारतीय जनमानस पर विचार करने वाले विद्वानों ने हिन्दी को भारत की भाषा मानते हैं। हिन्दी को ही भारतीय स्वतंत्रता की भाषा के रूप में स्वीकार किया है। आयरलैण्ड से भारत आकर राजनीतिक एवं सामाजिक आन्दोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाली थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रचारिका एनी बेसेण्ट ने हिन्दी भाषा का समर्थन करते हुए कहा था–''हिन्दी जानने वाला आदमी सम्पूर्ण भारतवर्ष में यात्रा कर सकता है और उसे हर जगह हिन्दी बोलने वाले मिल सकते हैं।''[8]

माना कि ब्रिटिश काल में अंग्रेजी भाषा का बोलबाला था। कम्पनी के कर्मचारी अंग्रेजी भाषा में सरकारी कार्य करते थे। अंग्रेज भारत के कुछ शिक्षा संस्थाओं में अंग्रेजी भाषा अनिवार्य किए थे। उनका मानना था कि अंग्रेजी भाषा भारतीय नागरिक सीख जायेंगे तो हमारे विचारों को सहमति देते रहेंगे। यहां तक कि ब्रिटिश हुकूमत

कुछ सम्पन्न परिवारों को अपनी ओर मिलाकर अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास किया लेकिन आजादी के दीवानों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। हिन्दी को स्वाधीनता का प्रतीक साबित कर दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी राष्ट्रभाषा की महत्ता पर विचार करते हुए कहते हैं–''यह सोचना कि अंग्रेजी हमारी राष्ट्रभाषा हो सकती है दौर्बल्य का प्रतीक है।''[9] गाँधीजी सरकारी कार्यालय में बहुसंख्यक भारतीयों की भाषा हिन्दी को अनिवार्य स्थान देते थे। उनका मानना था कि जिस भाषा से बहुसंख्यक नागरिक धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवहार को समझ सके वह ही राष्ट्रभाषा हो सकती है। इसके लिए भारत में हिन्दी सर्वाधिक उपयुक्त है। महात्मा गाँधी ब्रिटिश काल में अनुचित ढंग से अंग्रेजी भाषा के बढ़ावा देने पर दुःखी थे–''जो स्थान इस समय अनुचित ढंग से अंग्रेजी भाषा भोग रही है, वह स्थान हिन्दी को मिलना चाहिए।''[10] गाँधीजी के विचार के प्रति उत्तर में अंग्रेजों का कहना था कि भारत में अनेक भाषाएं हैं। हिन्दी सम्पूर्ण भारत में व्याप्त नहीं है। दक्षिण भारत में हिन्दी भाषा का विरोध होता है। इस कारण समस्त भारतीय भाषाओं को अस्वीकार करके अंग्रेजी को बढ़ावा दिया जा रहा है। वास्तविकता यह है कि हिन्दी भाषा के लिए समस्त भारतवासी एक रहते हैं। उनमें विखराव नहीं है। सन् 1937 ई0 में मुख्यमंत्री के रूप में राजा जी ने विचार दिए थे–''यदि दक्षिण भारतीय क्रियात्मक रूप से पूरे देश के साथ एकसूत्र में बँधकर रहना चाहते हैं और अखिल भारतीय मामलों में तथा तत्सम्बन्धी निर्णयों के प्रभाव से अपने को दूर नहीं रखना चाहते तो उन्हें हिन्दी पढ़ना जरूरी है।''[11]

भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय भारत के नागरिक हिन्दी को आजादी की उपमा देते थे। स्वतंत्रता सेनानियों का मानना था कि अंग्रेजी भाषा गुलामी का प्रतीक है और हिन्दी स्वतंत्रता की। भारत से बाहर भी जिस देश में आजादी के दीवाने थे, हिन्दी का समर्थन किया। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की आजाद हिन्द सरकार के विषय में डॉ0 रामशकल पाण्डेय ने लिखा है– ''आजाद हिन्द सरकार से हिन्दी के विकास के लिए अलग विभाग खोल लिया था, जिसके अध्यक्ष श्री हेमराज शास्त्री बनाये गये थे।''[12] कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भारत में शिक्षित वर्ग हिन्दी का विरोध करता था। वह अंग्रेजी भाषा का समर्थक था। इससे भारत में हिन्दी को बढ़ने का मौका नहीं मिला। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा करने का प्रयास किया। जो भारतीय, विदेशों में जाकर पढ़ते थे उन्हें अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पढ़ना अनिवार्य था। इसी कारण महात्मा गाँधी ने शिक्षित भारतीयों को हिन्दी भाषा अपनाने की सलाह देते हैं। गाँधीजी के शब्दों में–''हिन्दी ही हिन्दुस्तान के शिक्षित समुदाय की सामान्य भाषा हो सकती है।''[13] यही नहीं गाँधीजी अंग्रेजी समर्थक शिक्षित भारतीयों को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता की प्रतीक हिन्दी है। अंग्रेजी भाषा के मोह से हमें गुलामी प्राप्त होगी। गाँधीजी का दृढ़ विश्वास था कि ''जब तक भारतीयों में अंग्रेजी के प्रति मोह बना रहेगा तब तक भारत स्वाधीन नहीं होगा।''[14]

राष्ट्रीय आन्दोलन में जलियावालाबाग हत्याकाण्ड के विरोध में असहयोग आन्दोलन चलाया गया था। असहयोग आन्दोलन के समय भारत का शिक्षित समुदाय बहुसंख्यक मात्रा में हिन्दी भाषा को अपनाया। अंग्रेजी भाषा के प्रति भी असहयोगात्मक रवैया अपनाया। अंग्रेजी माध्यम के शिक्षण संस्थान को भारतीय छात्र एवं शिक्षक ने छोड़ दिया। भारतीय भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए कई विद्यापीठ की स्थापना हुयी। असहयोग आन्दोलन इतना प्रभावकारी था कि ब्रिटिश हुकूमत हिल गयी और भारतीयों को स्वयं के संविधान बनाने को चुनौती दी। परिणामस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान निर्माण के लिए नेहरू समिति बनायी। नेहरू समिति ने भी हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने पर जोर दिया। नेहरू रिपोर्ट के अुनसार–''यदि हम लोगों ने तन–मन–धन से प्रयत्न किया तो वह दिन दूर नहीं है जब भारत स्वाधीन होगा और उसकी राष्ट्रभाषा हिन्दी होगी।''[15] हालांकि नेहरू रिपोर्ट का विशेष प्रभाव राष्ट्रीय आन्दोलन पर नहीं पड़ा। हां अंग्रेजों में भय हो गया कि भारतीय स्वयं संविधान बना सकते हैं और हिन्दी राष्ट्रीय आन्दोलन का हिस्सा बन गयी। हिन्दी के माध्यम से भारत की साधारण जनता में स्वाधीनता का भाव लाया जा सकता था। शायद इसी वजह से अंग्रेज हिन्दी विरोधी थे। हिन्दी को गंवारू भाषा कहते थे। हिन्दी को उचित सम्मान न मिलने पर आचार्य बिनोवा भावे ने यहाँ तक कह डाला था–''मैं दुनिया की सब भाषाओं की इज्जत करता हूँ, परन्तु मेरे देश में हिन्दी की इज्जत न हो, यह मैं नहीं सह सकता।''[16]

इस प्रकार कहा जा सकता है कि हिन्दी भाषा भारतीय स्वाधीनता में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। डॉ0 कर्ण सिंह लिखते हैं–''राष्ट्रीय आन्दोलन से जुड़े सभी राजनेताओं ने हिन्दी भाषा के महत्व को स्वीकार कर लिया था।''[17] भारत की ग्रामीण जनता हिन्दी भाषा में विचारों को आसानी से समझ सकती थी और आज भी समझ रही है। शहरों में भी बहुसंख्यक जनसमूह हिन्दी माध्यम से ही विचारों का आदान–प्रदान करते हैं। कुछ शिक्षित व्यक्तियों ने हिन्दी विरोध में अंग्रेजों का साथ दिया था। इसमें बहुसंख्यक उच्च आर्थिक सम्पन्न परिवार के सदस्य थे। कुछ सामन्तवादी विचारधारा के समर्थक अंग्रेजी शासन एवं अंग्रेजी भाषा के सहारे साधारण नागरिक पर सत्ता स्थापित करना चाहते थे। इनका हमारे राष्ट्रीय आन्दोलनकारियों ने सशक्त विरोध किया और हिन्दी भाषा को अपनाकर समस्त नागरिकों में एका स्थापित करने का कार्य किया। यह सत्य है कि भारत में जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र के आधार पर एकता स्थापित करना मुश्किल है, परन्तु हिन्दी भाषा के आधार पर एक भारत की कल्पना आसानी से की जा सकती है। जिसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनाया। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी ने भारतीय स्वतंत्रता के उपरान्त भी हिन्दी भाषा को अपनाने की सलाह देते हैं। भावी पीढ़ी को हिन्दी पढ़ने की सलाह देते हैं–''हिन्दी का गम्भीर ज्ञान प्राप्त करना भारत के सभी लोगों के लिए शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए।''[18] अतः स्पष्ट है कि हिन्दी भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की पहचान थी। हिन्दी के माध्यम से ही साधारण जनता के समक्ष स्वतंत्रता एवं परतंत्रता का अभिप्राय प्रस्तुत किया गया और साधारण जनता के सहयोग से आजादी की कल्पना साकार हो सकी। आज भी भारतीय एकता को बनाए रखने के लिए हिन्दी भाषा की अनिवार्यता आवश्यक है। इससे हमारे देश के विकास की गति में तीव्रता आएगी और विश्व परिदृश्य पर हमारा सम्मान बढ़ेगा।

सन्दर्भ सूची

1. डॉ0 रामकिशोर शर्मा–'आधुनिक भाषा के सिद्धान्त', लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद (2004), पृ0 2
2. डॉ0 मीरा दीक्षित–'भाषा विज्ञान के सिद्धान्त', सुमित प्रकाशन, इलाहाबाद (2008), पृ0 9
3. प्रो0 रमन बिहारी लाल–'हिन्दी शिक्षण', रस्तोगी पब्लिकेशन्स, मेरठ (2011–12), पृ0 3
4. डॉ0 रामकिशोर शर्मा–'हिन्दी भाषा का विकास', श्यामा प्रकाशन संस्थान, इलाहाबाद (2008–09), पृ0 177
5. डॉ0 हरदेव बाहरी–'हिन्दी भाषा', अभिव्यक्ति प्रकाशन,

इलाहाबाद (2012), पृ0 157
6. डॉ0 शिवमूर्ति शर्मा–'सामान्य हिन्दी', शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद (2013), पृ0 40
7. डॉ0 हरदेव बाहरी–'हिन्दी भाषा', अभिव्यक्ति प्रकाशन, इलाहाबाद (2012), पृ0 157
8. डॉ0 रामकिशोर शर्मा–'हिन्दी भाषा का विकास', श्यामा प्रकाशन संस्थान, इलाहाबाद (2008–09), पृ0 177
9. डॉ0 रामकिशोर शर्मा–'हिन्दी भाषा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य', श्यामा प्रकाशन संस्थान, इलाहाबाद (2013), पृ0 261
10. डॉ0 रामशकल पाण्डेय–'हिन्दी शिक्षण', श्री विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा (2014), पृ0 2
11. डॉ0 शिवमूर्ति शर्मा–'सामान्य हिन्दी', शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद (2013), पृ0 40–41
12. डॉ0 रामशकल पाण्डेय–'हिन्दी शिक्षण', अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा (2012), पृ0 3
13. डॉ0 रामकिशोर शर्मा–'हिन्दी भाषा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य', श्यामा प्रकाशन संस्थान, इलाहाबाद (2013), पृ0 274
14. वही, पृ0 274
15. डॉ0 हरदेव बाहरी–'हिन्दी भाषा', अभिव्यक्ति प्रकाशन, इलाहाबाद (2012), पृ0 157
16. डॉ0 रामशकल पाण्डेय–'हिन्दी शिक्षण', श्री विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा (2014), पृ0 2
17. डॉ0 कर्ण सिंह–'हिन्दी शिक्षण', गोविन्द प्रकाशन, लखीमपुर खीरी (2010–11), पृ0 4
18. डॉ0 रामशकल पाण्डेय–'हिन्दी शिक्षण', अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा (2012), पृ0 2